राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1830/2024 कृष्णा माथुर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजाज रोड, सीकर, ब्लॉक पीपराली, जिला सीकर (राज.)।	21.05.2024	30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	2331/2024 मोहन लाल महावर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Parshuramdwara, जल महल, आमेर रोड, जयपुर, ब्लॉक जयपुर पूर्व, जिला जयपुर (राज.)।	18.07.2024	16.05.2024 (अनुलग्नक–2) एवं 30.05.2019 (अनुलग्नक–3)	
3.	2332/2024 मंजू महात्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Dingai, ब्लॉक पाली, जिला पाली (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2), 28.02.2018 (अनुलग्नक–4) एवं 12.04.2018 (अनुलग्नक–5)	
4.	2333/2024 सुभाष चन्द्र नोखवाल	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारगढ़, ब्लॉक सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
5.	2334/2024 गिरिराज गुप्ता	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड, जिला झालावाड (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड, जिला झालावाड (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमेठा, ब्लॉक अकलेरा, जिला झालावाड (राज.)।		07.01.2020 (अनुलग्नक–2) एवं 30.05.2019 (अनुलग्नक–3)	

6.	2335/2024 मुकेश कुमार शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 एमएल, ब्लॉक, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।	18.07.2024	30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
7.	2336/2024 जयकांत पत्रिया	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)। 7. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 8. प्रधानाचार्य, महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाजपुर, जिला शाहपुरा (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
8.	2337/2024 भंवरलाल जोशी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्रमाल, भीलवाडा, ब्लॉक सुहाना, जिला भीलवाडा (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
9.	2338/2024 रामप्रसाद शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजोर, पीपराली, जिला सीकर (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
10.	2424/2024 महावीर प्रसाद वैष्णव	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बूंदी, जिला बूंदी (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बूंदी, जिला बूंदी (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोतर भोपात तलेरा जिला बूंदी (राज.)।	29.07.2024	30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	

11.	2425/2024 विनय कुमार झा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शोभासर, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)।	29.07.2024	30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
12.	2426/2024 सरोज	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर (राज.) 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, खैरथल तिजारा, जिला खैरथल तिजारा (राज.)। 7. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, खैरथल तिजारा, जिला खैरथल तिजारा (राज.)। 8. प्रधानाचार्य–सह–पीईईओ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिजारा, ब्लॉक तिजारा, जिला खैरथल तिजारा (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
13.	2427/2024 बलराम खोड	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सिरोह, जिला सिरोही (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सिरोही, जिला सिरोही (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीचलागढ़, आबूरोड, सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
14.	2428/2024 सुलोचना	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपराली नोहर, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।		30.05.2019, 10.07.2019 एवं 23.11.2020 (अनुलग्नक–2, 4 एवं 5)	
15.	2882/2024 रफीक मोहम्मद काजी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समेलिया माण्डल, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)।	17.09.2024	30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
16.	2883/2024 मनोज कुमार शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीराना दातारामगढ़, सीकर जिला सीकर (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	

17.	2884/2024 शिवराज सिंह मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, जिला भीलवाडा (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, शहीद ओमप्रकाश परिहार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गडोली जहाजपुर, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)।	17.09.2024	19.02.2019 एवं 30.05.2019	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
18.	2885/2024 नीलम सक्सेना	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाकसू, जिला जयपुर (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
19.	2886/2024 रामचरण मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर (राज.)। 5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरीबा प्रोजेक्ट, राजगढ़, जिला अलवर (राज.)।		30.05.2019 (अनुलग्नक–2)	
20.	2989/2024 देवपाल सिंह बीठू	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शीथल, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)।	27.09.2024	06.08.2020 एवं 30.05.2019	
21.	3252/2024 मनमोहन दान	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू, जिला चूरू (राज.)।	05.11.2024	–	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
22.	3286/2024 जसवंत सिंह	5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागरियावास।	11.11.2024	–	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

23.	3289/2024 मंगल चन्द	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ (राज.)। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ (राज.)। 7. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ (राज.)। 8. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोहर हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज.)।	11.11.2024	30.07.2018, 22.01.2019, 05.03.2019, 02.04.2019 एवं 30.05.2019	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
24.	3290/2024 मेहबूब सिंह मीना	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर, जिला अलवर (राज.)। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ, अलवर। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ, अलवर। 7. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रघुनाथगढ रामगढ, अलवर जिला अलवर (राज.)।		11.09.2024 एवं 30.05.2019	
25.	3291/2024 भंवर लाल देवडा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर, पाली। 8. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 9. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांकली सुमेरपुर, पाली जिला पाली (राज.)।		30.05.2019, 27.02.2018, 02.06.2016 एवं 01.06.2015	
26.	3312/2024 संजीव जोधा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली, जिला पाली (राज.) 7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)। 8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, केकडी, जिला केकडी (राज.)। 9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भिनाय, जिला केकडी।	13.11.2024	10.05.2019, 30.05.2019 एवं 11.11.2019	
27.	3322/2024 मंगल चन्द खींची	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, केकडी, जिला केकडी (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक खेडी भिनाय, केकडी जिला केकडी (राज.)।		30.05.2019	

28.	3323/2024 आदित्य कुमार कचोट	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. वित्त सलाहकार, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, ब्यावर, जिला ब्यावर (राज.)। 7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मसूदा, ब्यावर।	13.11.2024	30.05.2019	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद शर्मा अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
29.	3385/2024 सियाराम मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. सहायक निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा, जिला दौसा (राज.)। 6. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा, जिला दौसा (राज.)। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर महुआ, दौसा जिला दौसा (राज.)।	22.11.2024	30.05.2019 एवं 31.01.2018	
30.	6042/2024 सीताराम रैगर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्राथमिक शिक्षा, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)।		30.05.2019	श्री प्रभा शंकर शर्मा, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 13.12.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2331/2024 मोहन लाल महावर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी मोहन लाल महावर की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 16.01.1992 के द्वारा हुई थी, जिस पद पर अपीलार्थी ने

दिनांक 20.01.1992 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी का समायोजन वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 9/10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.12.2002 के द्वारा दिया गया तथा 19/18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 14.11.2011 के द्वारा दिनांक 06.07.2010 से दिया गया।

राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 (चतुर्थ बदलाव) 2013 के आधार पर सहायक लेखाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के क्रमांक 3690 दिनांक 16.09.2013 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतन स्थिरीकरण किये जाने एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–प.14(88)वित्त(नियम)2008 जयपुर दिनांक 05.07.2013 के अन्तर्गत 01.07.2013 से परिवर्तित ग्रेड–पे दिये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800/– रुपये दिनांक 01.07.2013 से की गई है। इसके पश्चात अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत पे–मैट्रिक्स लेवल एल–12 में रखा गया। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली। अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ पे–ग्रेड 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी में प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफ. डी रूल्स/2008I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या–7 (ii) के अन्तर्गत का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार (Regular service for grant of benefits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) के आदेश क्रमांक प. 14 (88)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। अतः उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी

की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9,18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित नियम/2008 दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय (9,18,27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित विभाग के आदेश क्रमांक प. 18 (88) वित (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार याचि को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर 4800 ग्रेड पे में वेतन देय है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.1998 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.01.2006 से 30.06.2013 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। जिसको आदेश दिनांक 05.07.2013 से (प्रभावी दिनांक 01.07.2013) ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानो के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07.2013 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है। अतः अपील एवं स्थगन प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3500 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो वह राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई

राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 2331/2024 मोहन लाल महावर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य